जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।
(भू अर्जन शाखा)

हाटगम्हरिया– बेनीसागर भाया बलंडिया गोया पथ परियोजना के भू–अर्जन हेतु विभिन्न ग्रामों यथा 1. होबलकाण्ड 2. बलंडिया 3. सारडिया 4. गम्हरिया 5. दिकुबालकाण्ड 6. जैपुर 7. टिड़ापोसी 8. हलदिया 9. पराड़की 10. पडसा 11. सरगरिया 12. दामदरसाई 13. धनसारी 14. कुन्डियाधर एवं 15 भोन्डा का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 8 अंतर्गत समुचित सरकार (उपायुक्त) का सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रतिवेदन के समीक्षा के पश्चात् निर्णय :–

सामाजिक प्रभाव आकलन एवं विशेषज्ञ समूह के विवेचना पश्चात् प्रतिवेदन से निम्न तथ्य सुनिश्चित होते है :–

(क) प्रस्तावित अधिग्रहण के पीछे एक वैध एवं सद्भावी सार्वजनिक उद्देश्य है, उक्त कार्य हेतु संबंधित भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है।

(ख) उक्त पथ निर्माण से सार्वजनिक उद्देश्य (कंडिका । में विनिर्दिष्ट) सामाजिक लागतों एवं प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक होंगे। इस संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन ऐजेन्सी ने भी अनुशंसा किया है।

(ग) उक्त पथ परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्र ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

(घ) संबंधित भू–अर्जन में ऐसा कोई पूर्व अर्जित अप्रयुक्त भूमि नहीं है।

(ड.) धारा 8 का उप धारा (।) के संबंध का कोई मामला नहीं है।

इस प्रकार SIA प्रतिवेदन, विशेषज्ञ समूह के अनुशंसा के आलोक में SIA प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत स्वीकृति दी जाती है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 8 उप धारा (3) के अनुरूप इस निर्णय को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित करें एवं वेबसाइट पर अपलोकड करना सुनिश्चित करें।

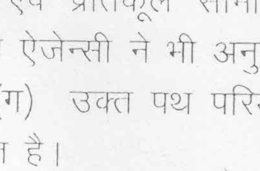

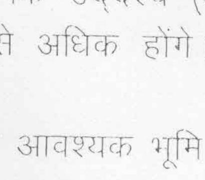

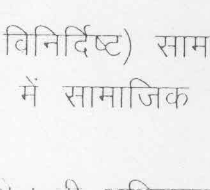

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा	अपर समाहर्त्ता, प० सिंहभूम, चाईबासा	जिला दण्डाधिकारी –सह–उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा

29.03.2017

E:\Land acquisition office\order\37.doc

जिला दण्डाधिकारी— सह—उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
(भू—अर्जन शाखा)

दिनांक 29.03.2017 को अपराह्न 1.00 बजे समाहरणालय, प० सिंहभूम, चाईबासा में अपर उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में हाटगम्हरिया— बेनीसागर भाया बलंडिया भोण्डा पथ निर्माण योजना अंतर्गत S.I.A से आच्छादित ग्रामों का विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन का अंकन (नियमावली के नियम 13 के आलोक में) हेतु बैठक कार्यवाही :—

उपस्थिति :— पंजी में संधारित है।

रजिस्ट्रार, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के पत्र सं० **C.C.D.C/157/17** दिनांक 28.03.2017 के द्वारा निर्गत हाटगम्हरिया— बेनीसागर भाया बलंडिया भोण्डा पथ निर्माण योजना अंतर्गत **S.I.A.** से आच्छादित ग्रामों का सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार **S.I.A** टीम के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के उपरांत उक्त परियोजना हेतु सड़क बनाने हेतु सहमति प्रदान किया गया है। साथ ही **S.I.A** टीम ने प्रतिवेदित किया है कि विभिन्न ग्रामों में जनसुनवाई के दौरान 74.5 प्रतिशत लोग सड़क बनाने के पक्ष में है। जिला भू—अर्जन पदाधिकारी के द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन प्रतिवेदन विशेषज्ञ समूह के समक्ष उपस्थापित किया गया।

सर्वप्रथम पुनर्व्यवस्थापन संबंधी विशेषज्ञ समूह के सदस्य नोडल पदाधिकारी **S.I.A** कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के द्वारा दो पहलुओं पर सुझाव दिये :—

(क) हाटगम्हरिया— बेनीसागर भाया बलंडिया भोण्डा पथ हेतु सुझावः—

1. हाटगम्हरिया— बेनीसागर भाया बलंडिया भोण्डा पथ के लिए जिन रैयतों की जमीन ली जाएगी, उनकी स्पष्ट रूप से पहचान की जाए।
2. जिन रैयतों की जमीन ली जाएगी, मुआवजा भी उन्हीं को देना सुनिश्चित किया जाए।
3. मुआवजा की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाए।
4. पूरे मुआवजे का भुगतान सही समय सीमा में तीन से चार महीने में किया जाए।
5. मुआवजा आकर्षक दर से दिया जाए, ताकि रैयतों को भी संतोष हो। सरकारी नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी दर का चार गुणा और शहरी क्षेत्रों में सरकारी दर का दो गुणा मुआवजे का प्रावधान हैं यदि इसे और बढ़ाया जा सके तो उत्तम होगा।
6. सड़क बनाने से कोई परिवार बेघर न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
7. जमीन देने वाले सभी रैयतों को आवश्कतानुसार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए।
8. जमीन देने वाले रैयतों की आजीविका के लिए जो सुझाव दिए गऐ है, उसपर गंभीरता से विचार किया जाए।

(ख) रैयतों की आजीविका हेतु सुझाव

1. मत्स्य पालनः— हाटगम्हरिया—बेनीसागर भाया बलंडिया भोण्डा पथ के निर्माण के लिए जमीन देने वाले ग्रामीणों, युवकों को मत्स्य मित्र बनाकर उनकी आजीविका के लिए बेहतर प्रयास किया जा सकता हैं। राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र मे अच्छी संभावना हैं मत्स्य पालन से रोजगार के अवसर बढेंगे।
2. स्वयं सहायता समूह :— ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें बकरी/सूकर/मुर्गी पालन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। महिलाएं यदि शिक्षित हैं तो उन्हें जनवितरण प्रणाली की दूकान भी आवंटित करायी जा सकती है। जब महिलाएं

आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तब उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज के विकास में सहयोग कर पायेंगी।

3. शिक्षा :– अनुसूचित जनजाति और गरीब तबके की बालिकाओं को शिक्षा दिलाने के लिए आवासीय विद्यालय में दाखिला दिलाया जा सकता है। शिक्षा लोगों को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने के साथ– साथ गरीबी से लड़ने में भी सहायक होगा।

4. पेंशन एवं इंदिरा आवास योजना :– क्षेत्र की गरीब विधवा महिला और बुजुर्गो को सरकार की पेंशन योजना और इंदिरा आवास योजना के माध्यम से सहायता दी जा सकती है। छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से सहायता दी जाए और इसकी निगरानी की जाए।

5. हरित क्षेत्र एवं फलदार पौधे :– हाटगम्हरिया–बेनीसागर भाया बलंडिया भोण्डा पथ में जो सड़क बनेगी उसमें दोनों किनारे बांस, केला और अन्य फलदार पेड़– पौधे लगा दिए जाये और इससे जो आमदनी होगी उसपर उस क्षेत्र के पंचायत को अधिकार दिया जाए।

सामाजिकी विज्ञानी अतुल कुमार पाण्डेय द्वारा उपरोक्त सुझाव के अलावे अपना विचार व्यक्त किया गया कि उस क्षेत्र के लोगों को कौशल विकास योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाय।

विशेषज्ञ समूह द्वारा सर्वसम्मति से उपरोक्त सुझाव पर समुचित सरकार से आवश्यक कार्रवाई करने की एवं हाटगम्हरिया– बेनीसागर भाया बलंडिया भोण्डा रोड हेतु अधिग्रहण करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।

अंत में सर्वसम्मति के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

29.03.17 श्री अतुल कुमार पाण्डेय प्रदान टोन्टो	29.03.2017 श्री रंजीत किन्डो CSO खूँटपानी TRTC Lupungut प्रखंड	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी प० सिंहभूम, चाईबासा 29.03.17	कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल, चाईबासा।	नोडल पदाधिकारी S.I.A कोल्हान यूर्निवसिटी	अपर [illegible] प० सिंहभूम चाईबासा